



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 29-2026/Ext.]

चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 19 फरवरी, 2026
(30 माघ, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग—I	अधिनियम	
	हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 12) (केवल हिन्दी में)	101
भाग—II	अध्यादेश	
	हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1) (केवल हिन्दी में)	3
भाग—III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या सांका०नि० 2/संवि/अनु० 309/2026, दिनांक 19 फरवरी, 2026— हरियाणा पुलिस सेवा (संशोधन) नियम, 2026.	41—42
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 6/के०अ० 16/1927/धा० 4/2026, दिनांक 19 फरवरी, 2026— हरियाणा सरकार, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 74/ के०अ० 16/1927/धा० 4/2025, दिनांक 17 सितम्बर, 2025 को विखंडित करने बारे।	43—44
भाग—IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 फरवरी, 2026

संख्या लैज. 13/2026.— दि हरियाणा हाउजिंग बोर्ड (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 17 फरवरी, 2026 की स्वीकृति के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4—क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 12

हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2025

हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971

को आगे संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।
(2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

संक्षिप्त नाम तथा
प्रारम्भ।

2. हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 की धारा 80 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

1971 के हरियाणा
अधिनियम 20 की
धारा 80 का
संशोधन।

“(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से, जहां बोर्ड विघटित कर दिया गया है, तो सभी संपत्तियां, निधियां, आस्तियां, दायित्व, बाध्यताएं और कर्मचारी, राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे और राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि ऐसी सभी संपत्तियां, निधियां, आस्तियां, दायित्व, बाध्यताएं और कर्मचारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या अभिकरण, जिसे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, में अंतरित हो जाएंगे। अंतरिती इकाई को इस प्रकार विनिर्दिष्ट सीमा तक बोर्ड के हित उत्तराधिकारी के रूप में समझा जाएगा और विघटन की तिथि को विद्यमान सभी विधिक कार्यवाहियां, संविदाएं तथा दायित्व, अंतरिती द्वारा अथवा के विरुद्ध तदनुसार प्रवर्तनीय होंगे।

व्याख्या.— इस उपधारा के प्रयोजनों हेतु,—

- (i) “स्थानीय प्राधिकरण” से अभिप्राय है, प्रशासन के प्रयोजन हेतु किसी राज्य विधि के अधीन गठित कोई प्राधिकरण;
- (ii) “अभिकरण” से अभिप्राय है, कोई सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, निगमित निकाय, सोसाइटी, या अन्य इकाई या संगठन (चाहे संवैधानिक हो या नहीं) जिसे राज्य सरकार, आवासन, शहरी विकास या संबंधित कृत्यों का उत्तरदायित्व लेने या प्रबन्धन करने के प्रयोजन हेतु समय-समय पर अधिसूचित करे।”।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।